

## Mandatory disclosure for AICTE

### 1. Name of the Institution

Government Polytechnic College, Jhunjhunu (Rajasthan)  
Address – Mandawa Road, Abusar ka Bas (Durjanpura)  
Telephone – 01592297007  
E-mail – [gpc.jhunjhunu@rajasthan.gov.in](mailto:gpc.jhunjhunu@rajasthan.gov.in)

### 2. Name & Address of Principal

Name – Shri Moti Lal  
Address - Mandawa Road, Abusar ka Bas (Durjanpura)  
Mobile No. - 9414206263  
E-mail - [gpc.jhunjhunu@rajasthan.gov.in](mailto:gpc.jhunjhunu@rajasthan.gov.in)  
[mlalaria@yahoo.com](mailto:mlalaria@yahoo.com)

### 3. Name of Affiliating University/ Board

Board of Technical Education, Jodhpur (Rajasthan)

### 4. Programmes Offered

S. No	Course Name	Duration (Year)	Approved Intake	Admitted Students			Status of NBA
				I Year	II Year	III Year	
1	Civil Engineering	3 Year	60	14	29	33	Not Accredited
2	Computer Engineering	3 Year	60	04	09	06	Not Accredited
3	Electrical Engineering	3 Year	60	15	40	42	Not Accredited
4	Electronics Engineering	3 Year	60	01	02	01	Not Accredited
5	Mechanical Engineering	3 Year	60	07	22	29	Not Accredited

### 5. Faculty Detail

S. No	Branch	Name of Faculty	Designation	Qualification
1	Civil Engg.	श्री अनिल कुमार जांगिड	प्रभारी सिविल विभाग	M.Tech
		श्री महावीर प्रसाद	प्रवक्ता सिविल	B.Tech
		श्री अरविन्द कुमार	प्रवक्ता सिविल	B.Tech
2	Computer Engg.	श्री गौतम	प्रभारी कम्प्यूटर विभाग	B.Tech
		श्रीमती आशा वर्मा	प्रवक्ता कम्प्यूटर	B.E
		श्री अनूप	प्रवक्ता कम्प्यूटर	B.Tech
3	Electrical Engg.	श्री मोती लाल	प्रधानाचार्य	M.Tech
		श्री आर.पी. माहेश्वरी	विभागध्यक्ष विद्युत	Ph.D, M.Tech
		श्री राजकुमार वर्मा	प्रवक्ता विद्युत	B.Tech
		श्रीमती ईशा आलडिया	प्रवक्ता विद्युत	B.Tech
		श्रीमती प्रिया भाम्बू	प्रवक्ता विद्युत	B.Tech

4	Electronics Engg.	श्री गजानन्द कुमावत	प्रभारी इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग	M.Tech
		श्री जितेन्द्र जाखड	प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	M.Tech
		श्रीमती अर्पिता कुमारी	प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	B.Tech
5	Mechanical Engg.	श्री सरजीत सिंह रॉय	प्रभारी यांत्रिकी विभाग	M.Tech
		श्री मोहित सिंह	प्रवक्ता. यांत्रिकी	B.Tech
		श्रीमती राजकुमारी मीणा	प्रवक्ता यांत्रिकी	B.Tech
		श्रीमती ऋचा सिधल	प्रवक्ता यांत्रिकी	B.Tech
6	Non Technical	श्री रुड सिंह	प्रभारी प्रथम वर्ष (गणित)	M. Phil., M.Sc
		श्री घनश्याम मीणा	प्रवक्ता भौतिकी	M. Sc.
		श्रीमती शैलजा चौधरी	प्रवक्ता भौतिकी	M. Phil, M.Sc.

  
 प्रधानाचार्य  
 राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय  
 झुंझुनू ( राज. )

## ⑥ Fee Structure

सारणी-3 : प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस .		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2.	शिक्षण शुल्क	2075	2075	-	--	शिक्षण शुल्क	11000	11000
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	1000	-	500	--	अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	7500	-
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क (50 रुपये) शुल्क)	500	500	500	500	विकास शुल्क	4400	4400
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500			
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250			
7.	सोलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075			
	कुल	6850	5650	4275	3575	कुल	22900	15400
	कुल		12500		7850	कुल		38300

राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
- निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
- सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/- (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद के रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
- विविध प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट- I एवं II प्रस्तुत करें।
- NBA द्वारा प्रत्यापित (Accrediated) पाठ्यक्रम का शुल्क रुपये 3000/- एक मुश्त प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिये जायेंगे।

सारणी-3: शुल्क (रु.) पार्श्व प्रवेश पद्धति से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु (सत्र 2020-21)

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2.	शिक्षण शुल्क	-	4150*	-	--	शिक्षण शुल्क	2000	20000
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य ( पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार )	500	500	500	--	अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार )	---	7500
4.	विविध मद [परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क (50 रुपये) शुल्क]	500	500	500	500	विकास शुल्क	2275	6525
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500			
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी समाज शुल्क	250	250	250	250			
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075			
	कुल	4275	8225	4275	3575	कुल	4275	34025
	कुल		12500		7850	कुल		38300

\* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट:

1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
3. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।

  
प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय  
झुझु (गज)